



क्षेत्रीय कार्यालय-उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1976 /NGT OA-873/19/2020

दिनांक 10/12/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 24-06-2020 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of Uttar Pradesh.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 24-06-2020 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of Uttar Pradesh. Joint inspection of Hindon Vihar area was carried out by joint team constituted in compliance of Hon'ble NGT order dated 24.06.2020, the joint report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

For Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

For Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-२, सेक्टर-१६, वसुन्धरा, गाजियाबाद-२०१०१२ फोन-०१२०-४१६०१०८
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ २२६०१०

Report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 24-06-2020 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of Uttar Pradesh

Hon'ble NGT on dated 24-06-2020 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs State of U.P. has passed following order:-

“....We accept the recommendations and direct that extensive survey of the area, take remedial information against the illegally operating units in Hindan Vihar, Ghaziabad, UP may be conducted. The District Magistrate, Ghaziabad and the UPPCB to nominate senior level representative in the Committee already constituted. The reconstituted Committee may conduct survey and give a report. Concerned statutory authority may give its action taken report after considering the said report within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.”

In compliance to the above order, District Magistrate, Ghaziabad vide letter dated 08-07-2020 (Copy enclosed as **Annexure -1**) constituted joint committee comprising following officials:-

1. Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad
2. Sub-divisional Magistrate, Sadar, Ghaziabad
3. Executive Engineer, PVVNL, Hindon vihar, Ghaziabad
4. Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad

Further, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow vide letter no. H50909/C-1/Samanya- 545/2020, dated 13-07-2020 nominated their representative, copy of letters are enclosed as **Annexure -2**.

The joint committee comprising following official of District administration Ghaziabad and the State Pollution Control Board (SPCB) visited Gali no. 03 hindon vihar area on dated 06-08-2020. During inspection, following 04 illegal iron scrap godown were found, which have been sealed by joint committee during inspection:-

- a. Unknown iron scrap godown (Formerly M/s Alisha casting enterprises), Opposite Reshma enterprises, Gali no. 03, Hindon Vihar, Ghaziabad.
- b. M/s Reshma enterprises, iron scrap godown, Khasra no. 39, Gali no. 03, Hindon Vihar, Ghaziabad.
- c. M/s New Max enterprises, iron scrap godown, Khasra no. 38, Gali no. 03, Hindon Vihar, Ghaziabad.
- d. M/s Raj Traders (besides M/s New Max enterprises), iron scrap godown, Khasra no. 39, Gali no. 03, Hindon Vihar, Ghaziabad.

In continuation of above, joint committee comprising following officials Tehsildar, Sadar, the State Pollution Control Board (SPCB) and PVVNL visited

hindon vihar area on dated 10-10-2020. During inspection, it was observed that when joint team started survey of the area, unit's representative closed their operation by closing main gate of premise. During survey, 05 illegal godowns and 01 illegal plastic recycling unit were identified. No document/ permission were furnished by units to joint team. In view of illegal operation of above units, Joint team has sealed the units and electric supply was disconnected by PVVNL.

Photographs taken during survey is as follows:-

1. M/s M.J. traders - Ferrous and Non- Ferrous metal scrap godown of Mr. Mehboob, Gali no.3, Opposite anand machinery, Hindon vihar, Ghaziabad



2. M/s Ramjaan Udhyog – plastic scrap recycling furnace by Smt. Shamshana begum W/o Shri Saleem, Gali no.3, Opposite anand machinery, Hindon vihar, Ghaziabad



3. Metal scrap godown of Mr. Abdul salaam S/o Shri Umerdin, Gali no.2, Opposite anand machinery, Hindon vihar, Ghaziabad



4. Shri Santram Gautam, Gali no.2, Opposite anand machinery, Hindon vihar, Ghaziabad



5. M/s A. M. Enterprises – lube oil drums and electrical machinery/ parts godown, Gali no.2, Hindon vihar, Ghaziabad



6. Metal scrap godown of Mr. Pappan, Meerut road, Hindon vihar, Ghaziabad



7. Hence, Total 10 units have been sealed by joint committee from dated 06-08-2020 to 10-10-2020. Out of 10 units, 03 units have submitted representation to SDM- Sadar, Ghaziabad to remove machinery/ scrap on permanent basis. In view of representation, 02 premises namely; M/s Raj Traders (besides M/s New Max enterprises), iron scrap godown, Khasra no. 39, Gali no. 03, Hindon Vihar, Ghaziabad, and M/s A. M. Enterprises, Gali no.2, Hindon vihar, Ghaziabad were de-sealed for 01 day to remove plant and machinery and same have been sealed again by joint team after verification. 01 premises namely Santram Gautam, Gali no.2, Opposite anand machinery, Hindon vihar, Ghaziabad was found to be household property and was de sealed by joint team. Joint report is enclosed as **Annexure -3**.

Observation during the joint inspection visit:

- During survey of Hindon vihar area, it was observed by joint team that mostly premises are being used as godowns/ temporary storage of iron scrap/ plastic drum/scrap/ non polluting fabrication units in hindon vihar area. Some air polluting small units such as plastic waste recycling were found operational and have been closed.
- No permission has been granted for any kind of polluting industrial activity in hindon vihar area.
- As per information Nagar Nigam, Ghaziabad, has also surveyed the area and sealed/ closed 119 units/ godowns, list is enclosed as **Annexure -4**.
- Hindon Vihar Vyapaar Mandal has submitted a representation to District Magistrate, Ghaziabad citing a decision taken in 205 whereby non- polluting activities listed in erstwhile list of 122 activities be permitted and such premises may not be sealed. As present land use is to be defined by

Ghaziabad Development Authority. Godowns which are not involved in any processing activity but only storage and other such fabricating works may be permitted temporarily in coherence to decision taken in 2005. Copy of representation is enclosed as **Annexure 5**.

- The joint committee is carried out regular inspection to identify air/ water polluting units in hindon vihar area and the exercise will be continue.

Report is being submitted for kind perusal and necessary action.



(Anshul Sharma)
Junior Engineer
UPPCB
Ghaziabad




(Navneet Pandey)
Junior Engineer
UPPCB
Ghaziabad



(B.K. Singh)
Assistant Environment Engineer
UPPCB
Ghaziabad



(Perver Khan Sharma)
Tehsildar Sadar
Ghaziabad



(Pramod Kumar)
Additional Municipal Commissioner
Nagar Nigam
Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 315/NGT/OA No. 873/2020

दिनांक 08/07/2020

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 873/2019 Tahir Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.06.2020 का मुख्य अंश निम्नवत है:-

".....We accept the recommendations and direct that extensive survey of the area, take remedial information against the illegally operating units in Hindan Vihar, Ghaziabad, UP may be conducted. The District Magistrate, Ghaziabad and the UPPCB to nominate senior level representative in the Committee already constituted. The reconstituted Committee may conduct survey and give a report. Concerned statutory authority may give its action taken report after considering the said report within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..."

मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में संयुक्त समिति के निरीक्षण हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।
2. उपजिलाधिकारी-सदर, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, हिण्डन विहार, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 873/2019 Tahir Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.06.2020 के अनुपालन में हिण्डन विहार क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 15.09.2020 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक 13.10.2020 नियत है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय.

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी-सदर, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, हिण्डन विहार, गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।



676690240/22/2020
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE - 2

Ref No- 150909

IC-1/ सामान्य - 545/2020

Date: 13-7-2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 873/2019 में पारित आदेश दिनांक-24.06.2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 873/2019 ताहिर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के आदेश दिनांक-24.06.2020 का अवलोकन करना चाहेंगे। जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

".....As the units were found operating illegally in residential areas, Nagar Nigam, Ghaziabad should carry out extensive survey of the area and ensure immediate closure of illegal units in Hindan Vihar.

3. We accept the recommendations and direct that extensive survey of the area, take remedial information against the illegally operating units in Hindan Vihar, Ghaziabad, UP may be conducted. The District Magistrate, Ghaziabad and the UPPCB to nominate senior level representative in the Committee already constituted. The reconstituted Committee may conduct survey and give a report....."

उपरोक्त मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु श्री उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद (मोबाइल नं0-9990603358) को नामित किया जाता है।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद से व्यक्तिगत तौर पर समन्वय स्थापित कर कार्यवाही पूर्ण कराये।

सदस्य सचिव

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

कार्यालय उप जिलामजिस्ट्रेट,
प०सं० 545 / एस०टी०-एस०डी०एम० / गाजि० / 2020

गाजियाबाद।

दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

नायब तहसीलदार,
गाजियाबाद।

अवगत कराना है कि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मैसर्स राज ट्रेडर्स, गली नं०-3, निकट श्याम धर्मकांटा, मेरठ रोड, गाजियाबाद के परिसर में सील लगायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त परिसर में भण्डारित नॉन फेरस मेटल मैसर्स एन०टी०पी०सी० रामागुंडम सुपर थर्मल पावर के प्रोजेक्ट साईट पर भेजे जाने हैं, जिस हेतु डि-सील कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वसुन्धरा, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गई। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या 980 / सा०पत्रा०-74 / 2020 दिनांक 08-9-2020 में वर्णित किया है कि उक्त इकाई परिसर में मैसर्स एन०टी०पी०सी० रामागुंडम सुपर थर्मल पावर के प्रोजेक्ट से सम्बन्धित सामग्री को प्रोजेक्ट साईट भेजे जाने हेतु परिसर को डि-सील किया जाना उचित होगा तथा संदर्भित परिसर स्वामी से उक्त सामग्री की मैसर्स एन०टी०पी०सी० रामागुंडम सुपर थर्मल पावर से प्राप्ति की प्रति प्राप्त किया जाना भी उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत समस्त अभिलेख संलग्न कर इस निर्देश से भेजे जा रहे हैं कि क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय कर संयुक्त रूप से परिसर स्वामी के समक्ष डि-सील की कार्यवाही कर एवं भण्डारित नॉन फेरस मेटल को निकलवाकर पुनः सील सुनिश्चित कराये, तथा परिसर स्वामी से निकाली गई सामग्री की मैसर्स एन०टी०पी०सी० रामागुंडम सुपर थर्मल पावर से प्राप्ति की प्रति प्राप्त कर कृत कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।

(देवेन्द्र पाल सिंह)
उपजिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वसुन्धरा, गाजियाबाद को उनके पत्र दिनांक 08-9-2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।


श्री संतराम गौतम पुत्र श्री बनारसीदास, निवासी गली नं०-02, 30 फुटा रोड, हिण्डन विहार, गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण आख्या।

कृपया उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 पर उपजिलाधिकारी सदर, गाजियाबाद की टिप्पणी दिनांक 13.10.2020 के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 1429/सा०पत्रा०-74/2020 दिनांक 17.10.2020 द्वारा प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु मजिस्ट्रेट नामित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी सदर, गाजियाबाद द्वारा नायब तहसीलदार सदर, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।


उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 05.11.2020 को श्री संतराम गौतम पुत्र श्री बनारसीदास गली नं०-02, 30 फुटा रोड, हिण्डन विहार, गाजियाबाद का स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर परिसर पर सील लगी पायी गयी, परिसर स्वामी के प्रार्थना पत्र के दृष्टिगत परिसर को डी-सील किया गया। जिसके उपरान्त परिसर के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त परिसर आवसीय प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित परिसर स्वामी द्वारा बताया गया कि हिण्डन विहार क्षेत्र में संयुक्त समिति की कार्यवाही दिनांक 10.10.2020 के दौरान परिसर का मुख्य द्वार बाहर से बन्द होने के कारण आस पास के चिन्हित अवैध गोदामों की कार्यवाही के साथ उक्त द्वार भी समिति द्वारा सील कर दिया गया था तथा उनके द्वारा परिसर में किसी भी प्रकार के फैक्ट्री/गोदाम का संचालन नहीं किया जाता है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:-



उपरोक्तानुसार परिसर स्वामी की उपस्थिति में परिसर को डी-सील कर हस्तगत किये जाने की कार्यवाही की गयी। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


05-11-20
(ध्रुवदेव वर्मा)

प्रयोगशाला सहायक
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद


07/11/20
(प्रतीत सिंह)

नायब तहसीलदार सदर,
गाजियाबाद।

श्रीमान जी

कार्यालय उप निगराधिकारी गा० बा० का
 पत्र नं० 545/S.T-S.D.M/गा०बा०/2020/18 दिनांक
 2020 का अग्रपालन में अविवाहित द्वारा दिनांक
 6/10/2020 का में 0 राग ट्रेडर्स जमी 003 विकर श्याम
 चर्म कौंरा डि० न वि० गा०बा० का लैवें मठा विपारगणा
 मोके पर परिम के मुख्य इर पर सील लगी पाई गई।
 उक्त वंकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के
 माध्यम से परिम में सहायक जेन पी एल मेल का
 में 0 एन० सी० पी० सी० रामा सुकस सुपा चर्मस पाव के प्रोपे
 लरि पर मेरे जेन हेतु सी० सी० लिए जेन का अग्रिम
 विपार गणा है। जिस पर उप निगराधिकारी गा०बा० का
 आदेश दिनांक 18/9/20 का अग्रपालन में परिम स्वामी
 की उपस्थिति में सी० सी० की वधावारी आवा दिनांक
 6/10/20 का वही गई जिसके परपाल में 0 राग ट्रेडर्स द्वारा
 वाहन नं० डूक ^{RJ-14} 65-3950 द्वारा परिम में रूके सामान के रखी पा
 दिनांक है। जिसकी पुष्टि के वरन्त ईकर परिम को पचापत
 पसीम स्वामी की उपस्थिति में सी० सी० का दिनांक गणा है। आरंभ
 महेदप की लेना में सादर प्रस्तुत है।

- ① परिम स्वामी के हस्ताक्षर
- ② अंगुष्ठांक एवं अभिपत्ता
उ० प्र० प्रदुसन निपटना बोर्ड
- ③ अरविन्द कुमार (सा.अधीन)

Sulim
Anushul 06/10/2020

4
 06/10/20
 4101

Anushul

श्री. ए. ए. इन्टरकॉलेज, गली नं. 2, जिवर

महानगर मंसिर, विठ्ठल विहार, गण्डियाबाद के आर्गन का
दिनांक 03-11-2020 पर इकोनोमिस्ट्स, सदर, गण्डियाबाद
के दिवसीय भोजन दिनांक 10-11-2020 के अनुमान में
भोजनसाहसकजो द्वारा दिनांक 18-11-2020 को इकाई खान
का सर्वेक्षण किया गया। भोजन पर परिसर के प्रभु द्वारा पर
सीत लगी गई। उक्त इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई परिसर
को खाली करने हेतु अनुमति के माध्यम से आर्गन का
उत्सु किया गया है। जिसके फलस्वरूप भोजन पर उपस्थित गण्डियाबाद
महानगर द्वारा इकाई प्रतिनिधि के उपस्थिति में परिसर को डी सीत
कर परिसर को खाली करने के निर्देश दिए गये। इकाई
प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परिसर खाली करने के
सूचना से आवाज करायें। जिसके पश्चात श्री. ए. ए. इन्टरकॉलेज
द्वारा परिसर को खाली कराया गया, जिसके फलस्वरूप उक्त के पश्चात
इकाई परिसर को यथावत इकाई प्रतिनिधि के उपस्थिति में
सीत कर दिया गया है।

आइया अवधीकरणी एवं आवाजक मर्चकरी हेतु
सदर उत्सु है।

इकाई प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :-

[Handwritten signature]
20/11/2020
20/11/2020

[Handwritten signature]
30
UICB

Avialy
18-11-20

18/11/20

कार्यालय सिटी जॉन, (टाऊन हाल) नगर निगम गाजियाबाद

क्र० सं०	भवन संख्या	अध्यासी/स्वामी का नाम	दुकान/गोदाम	मोबाईल नं०	कार्य का विवरण	अन्य
1	8	अब्बास (जमालुदीन पुत्र श्री अल्लाबन्दी)	गोदाम दुकान	9818626447	पन्नी रोल/पन्नी खुली	-
2	45	गोलू(पहलाद सिंह पुत्र श्री कर्मचंद	गोदाम	9891143328	पन्नी का कार्य	-
3	52	सिरिज मलिक (मुन्ना)	गोदाम	9818727809	महमूद पन्नी का कार्य	-
4	55	खलील पुत्र श्री माफूब	गोदाम	9540131564	पन्नी का गोदाम	-
5	50	नूर मोहम्मद	गोदाम	-	(गुल्ला बनना) पन्नी गलाकर	-
6	56	महमूद(अलाउदीन)	गोदाम	9818727809	महमूद पन्नी का गोदाम	-
7	57	हाजी मोबिन (दादरी वाले) पुत्र श्री अनिल	गोदाम	9999681650	पन्नी का गोदाम	-
8	58	असलम पुत्र श्री बून्दू खां (इकबाल वाली	गोदाम	9555409814	पन्नी का कार्य	-
9	88	परवेज	गोदाम	9818940626	पन्नी का कार्य	सील लगी है।
10	122	बबलू पुत्र श्री शाहबुदीन (वसीम)	गोदाम-दुकान	9810371132	पन्नी का कार्य	-
11	-	सन्जू पत्नी श्री सुनील	दुकान	9871858542	दुकान(बबलू के सामने पन्नी का कार्य	-
12	123	इरफान अली पुत्र श्री नियाज मौ०	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
13	-	हरसाद उर्फ फिरोज पुत्र श्री अ० अजीज	गोदाम	9910984053	गोदाम (सील लगी है)	सील लगी है।
14	169	माभीन	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
15	150	अनीरा पुत्र श्री मुनफैद	गोदाम	9871409048	पन्नी का कार्य	-
16	184	सूरज प्रकाश पुत्र श्री जगदीशलाल	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
17	185	दीपक पुत्र श्री सूरज प्रकाश	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
18	154	हाजी इस्लाम	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
19	267	हाजी इस्लाम पुत्र श्री निजामुदीन	गोदाम-दुकान	-	पन्नी का कार्य	-
20	-	असलम	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
21	-	मागे पुत्र श्री यासीन	गोदाम	9971268074	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
22	-	मागे पुत्र श्री यासीन	गोदाम	9971268074	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
23	-	नसरुदीन पुत्र श्री भीर हसन	गोदाम	9891182928	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
24	-	किरन पत्नी श्री महेश	गोदाम	9711978468	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
25	-	नसरु	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
26	-	छोटू(दिलशाद)	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
27	-	नूरहसन पुत्र श्री रसीद	गोदाम	9350405334	पन्नी का रोल का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
28	-	शाहरुख	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
29	-	नूरहसन पुत्र श्री रसीद	गोदाम	9350405334	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन

30	-	नुरहसन पुत्र श्री रसीद	गोदाम	9350405334	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
31	-	दिलशाद	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
32	-	गुल्लू पुत्र श्री शरीफ	गोदाम	9718733859	पन्नी का कार्य	नगर निगम द्वारा दी गयी जमीन
33	278	दिनेश सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह	3 गोदाम	9810850350	पन्नी का कार्य	हिन्दन विहार
34	280	जाहिर अहमद (देवेन्द्र त्यागी)	गोदाम	9910428876	पन्नी का कार्य	-
35	287	जाहिर-जैड एस इन्टर प्राईजेज	गोदाम	8527138377	पन्नी का कार्य	-
36		चरण सिंह	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
37	-	जमसैद पुत्र श्री नूर हसन	खुले में गोदाम	7838509843	पन्नी का कार्य	खाली जमीन पर अस्थायी टिन लगाकर(वने गोदाम)
38	-	असलम पुत्र श्री दिसशाद	खुले में गोदाम	9891556029	प्लास्टिक की खाली बोटल	खाली जमीन पर अस्थायी टिन लगाकर(वने गोदाम)
39	-	मौ0 अब्दतर	खुले में गोदाम	-		खाली जमीन पर अस्थायी टिन लगाकर(वने गोदाम)
40	-	समीर मलिक	खुले में गोदाम	-	डिब्बे,कैन आदि प्लास्टिक गोदाम	खाली जमीन पर अस्थायी टिन लगाकर(वने गोदाम)
41	-	खान्द मौ0 पुत्र श्री हजरत दीन	खुले में गोदाम	9136716444	बोटल डक्कन गोदाम प्लास्टिक	खाली जमीन पर अस्थायी टिन लगाकर(वने गोदाम)
42	-	मोमिन	गोदाम	9818050144	पन्नी का गोदाम/पेपर	हिन्दन विहार
43	290/1	मोमिन	गोदाम	9818050144	कागज/पन्नी का कार्य	-
44	290/2	तसलीम	गोदाम	9818706514	कागज/पन्नी का कार्य	-
45	290/3	सलीम	गोदाम	-	कागज/पन्नी का कार्य	-
46	302	शहनबाज	गोदाम	-	कागज/पन्नी का कार्य	-
47	301	शहीद सैफी	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
48	304	शौकीन	गोदाम	8512099200	पन्नी / बन्डल	-
49	306	प्रमोद कुमार राणा	गोदाम	8826239364	कागज/पन्नी का कार्य	-
50	308	इकराम मलिक	गोदाम	9810637396	कागज/पन्नी का कार्य	-
51	-	हाजी इस्लाम (धीरज त्यागी)	गोदाम	9312263790	खाली बोटल प्लास्टिक का कार्य	-
52	-	मोसिम (धीरज त्यागी)	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक टूटी फूटी का कार्य	-
53	310	आफित	गोदाम	-	गोदाम पन्नी	-
54	310	आजाद	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
55	313	अय्यूब पुत्र श्री मीर हसन	गोदाम	9560321419	पन्नी का कार्य	-

56		शहीद	गोदाम खुले में	-	पन्नी का कार्य	एल0एम0सी0 में बने गोदाम ट्रान्सफारमर के साथ
57	-	वासुदीन पुत्र श्री मीर हसन	गोदाम खुले में	9350529037	पन्नी का कार्य	एल0एम0सी0 में बने गोदाम ट्रान्सफारमर के साथ
58	618	प्रिस पुत्र जयदेव शर्मा	गोदाम खुले में	9711013114	पन्नी का कार्य	-
59	-	कल्लु श्री मीर हसन	गोदाम खुले में	8745056400	पन्नी का कार्य	-
60	621	कयूम	गोदाम खुले में	-	पन्नी का कार्य	-
61	622	यासीन पुत्र श्री मुन्शी खां	गोदाम खुले में	-	पन्नी का कार्य	-
62	-	पुष्पा पत्नी श्री ओमप्रकाश	दुकान	8377842960	पन्नी का कार्य	देवेन्द्र त्यागी की दुकाने
63	-	असलम	दुकान	9873753536	पन्नी का कार्य	देवेन्द्र त्यागी की दुकाने
64	-	श्री हस्मुदीन पुत्र रियाजुद्दीन	दुकान	9873225792	पन्नी का कार्य	देवेन्द्र त्यागी की दुकाने
65	-	श्री रहीस	दुकान/गोदाम	-	पन्नी का कार्य	देवेन्द्र त्यागी की दुकाने
66	-	श्री अहमद शेर पुत्र अलीशेर	गोदाम	9818133152	पन्नी का कार्य	मस्जिद नूर इलाही के सामने बने गोदाम
67	-	श्री ब्रजेश तिवारी	गोदाम	-	प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन आदि	मस्जिद नूर इलाही के सामने बने गोदाम
68	-	श्री सोनू पुत्र शम्बीर अहमद	गोदाम	9891549683	पन्नी का कार्य	मस्जिद नूर इलाही के सामने बने गोदाम
69	-	श्री हसन मैहन्दी	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	मस्जिद नूर इलाही के सामने बने गोदाम
70	-	श्री वसीम	गोदाम	9958302838	पन्नी का कार्य	-
71	-	श्री दानिस पुत्र साबू	गोदाम	9716783372	प्लास्टिक के ड्रम, लोहा आदि	-
72	-	श्री ओमबीर	गोदाम	9711115391	पन्नी का कार्य	-
73	-	श्री मोबिन पुत्र नजीर	गोदाम	9818657371	प्लास्टिक टूटी, फुटी स्त्रेच का कार्य	-
74	-	श्री कयूम	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
75	-	श्री सरताज पुत्र जीमल (ओमप्रकाश)	गोदाम	9350030767	पन्नी का कार्य	-
76	-	श्री अमन पुत्र अलीगान	गोदाम	9818175784	पन्नी का कार्य	-
77	-	श्री मोबिन	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
78	798	श्री चाँद पुत्र ईमामुदीन	गोदाम	9312357006	पन्नी का कार्य	-
79	802	श्री सलीम (नगर निगम ट्यूबवेल के साथ)	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
80	1036	श्री अल्लाब	गोदाम	-	पन्नी का कार्य	-
81	-	श्री अन्सार पुत्र अ0 गनी	दुकान	9891434255	पन्नी का बेचने कार्य	-
82	1156	श्रीमती पुष्पा (मोहित त्यागी)	गोदाम	-	पन्नी का बेचने कार्य	-
83	1156	श्री ओम साई ट्रेडर्स	गोदाम	-	पन्नी का बेचने कार्य	-
84	1156	श्री यूनुस पुत्र वरकत अली	गोदाम	9810908620	प्लास्टिक का कार्य (टूटी, फुटी)	-
85	-	श्री इरफान	गोदाम	-	प्लास्टिक की बोतले	-
86	-	श्री यूनुस	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
87	-	श्री बबली	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
88	1331	श्री यामीन	गोदाम	-	गुल्ला बनाने की मशीन (गली न. 3 श्याम धर्म कांटा)	-
89	1429	श्री बच्चूलाल (रोहित, मोहित व लोकेश)	गोदाम	965008979	प्लास्टिक कटिंग	-
90	1429	श्री अकरम मलिक (रोहित, मोहित व लोकेश)	गोदाम	9310080791	प्लास्टिक का दाना बनाना	-
91	1461	श्री मनोज कुमार गर्ग	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
92	1466	श्री अनीस पुत्र जहीर	गोदाम	9015161660	पन्नी का कार्य	-
93	1469	श्री आरिफ	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-

20

94	1469	श्री रज्जू	गोदाम	-	पन्नी का गोदाम	-
95	1469	श्री सुएब	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
96	1469	श्री निसार	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
97	1469	श्री तसलीम	गोदाम	-	गुल्ला बनाना	-
98	1469	श्री रामकिशन गुप्ता	गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
99	1469	श्री सुबोध	गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
100	1480	श्री बालकिशन	गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
101	1476	श्री जावेद मलिक	गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
102	1481	श्री दीपक गर्ग	गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
103	1489	श्री प्रमोद राणा	दो गोदाम	-	गुल्ला दाना बनाना	-
104	1495	श्री चौधरी (ब्रज किशोर त्यागी)	गोदाम	-	गुल्ला बनाना (पहले भी सील किया था)	-
105	1496	श्री रोहित, मोहित व लोकेश	गोदाम	-	पन्नी का गोदाम (पहले भी सील किया गया था)	-
106	-	श्री रियाशुदीन पुत्र शाबुददीन	गोदाम	9810870146	प्लास्टिक का गोदाम	आमने सामने
107	-	श्री रियाशुदीन पुत्र शाबुददीन	गोदाम	9810870146	प्लास्टिक का गोदाम	
108	1518	श्री बन्सू (मनोज कुमार गर्ग)	गोदाम	-	गुल्ला बनाना (सील कर दिया था अब चालू हैं)	-
109	1519	श्री पप्पू	गोदाम	-	पन्नी का गोदाम (सील कर दिया था अब चालू हैं)	-
110	-	श्री ब्रिजेश त्यागी	गोदाम	-	पन्नी का गोदाम (सील कर दिया था अब चालू हैं)	-
111	1721	श्री अनीस	गोदाम	9818750353	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
112	-	श्री हाजी इस्लाम	गोदाम	9650936731	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	नगर निगम नलकूप की तरफ गोदाम
113	-	श्री शेर मौ0 दोस्त मौ	गोदाम	9650936731	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
114	-	श्री बर्मा जी	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
115	-	श्री मोबिन	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
116	-	श्री निजाम	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
117	-	श्री अकिल	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
118	-	श्री शेर मौ0 पुत्र आशिक अली	2 गोदाम(आमने सामने)	9818090031	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-
119	-	श्री माबिन	गोदाम	-	मोटी प्लास्टिक, स्कैब	-

80. 6

प्रेषक

उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र,
गाजियाबाद।

सवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

2/11/20

Annexure - 5

334 / ERIP
A.D.M. (City)
कृपया निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बीई वसुंधरा
जिलाधिकारी
गाजियाबाद

विषय :

लघु उद्योग एवं व्यापार मण्डल रजि० मेरठ रोड गाजियाबाद द्वारा हिण्डन विहार क्षेत्र में लघु उद्योगों को प्रशासन द्वारा सील करके किये जा रहे उत्पीड़न विषयक प्रत्यावेदन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

पत्रांक :

1575 / जि०उ०एवंउ०प्रो०के० / गा०बा० / उ०ब० / 2020-21 दिनांक 17.10.20

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न लघु उद्योग एवं व्यापार मण्डल (रजि०), 334 बी, सेवानगर, मेरठ रोड गाजियाबाद के पत्र दिनांक 12.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग 35 वर्ष पूर्व हिण्डन विहार क्षेत्र में लोगो ने अति लघु, लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किये गये, जिसके लिए विद्युत विभाग से कनेक्शन, सेल्स टैक्स विभाग का पंजीकरण एवं अन्य विभागों से भी लाईसेंस आदि भी प्राप्त किये गये। प्रारम्भ में इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शन लिया गया, आवश्यकतानुसार औद्योगिक संयोजन में परिवर्तन हेतु विभागों द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर प्रकरण को दिनांक 14.02.2005 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री सन्तोष कुमार यादव जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री वी०के० पवार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०ए०, क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोडल अधिकारी विद्युत नगरीय वितरण खण्ड तृतीय, अध्यक्ष, दी गाजियाबाद स्माल स्केल मैनु० एसो० एवं अध्यक्ष, लघु उद्योग एवं व्यापार मण्डल की एक कोर कमेटी गठित की गई जिसके द्वारा हिण्डन विहार, सिहानी मेरठ रोड क्षेत्र में स्थापित इकाईयों को वैध मानते हुए 220 अप्रदूषणकारी इकाईयों के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों को पंजीकृत करने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को आदेशित किया गया एवं विद्युत विभाग को भी वाणिज्यिक विद्युत संयोजनों को औद्योगिक संयोजनों में परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त आदेशों के क्रम में (220 अप्रदूषणकारी इकाईयों के अन्तर्गत) उक्त क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित की गई।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रशासन द्वारा गठित टीम के माध्यम से हिण्डन विहार औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को सील किया जा रहा है, चूँकि उक्त क्षेत्र में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति एवं कोर कमेटी के निर्णयों के क्रम में ही औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। अतः औद्योगिक संगठन को उक्त कार्यवाही को अतिशीघ्र रोके जाने एवं केवल प्रदूषणकारी इकाईयों पर ही नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिससे अप्रदूषणकारी इकाई बन्द न हों एवं हजारों श्रमिकों को बेरोजगार होने की समस्या से बचाया जा सके।

अतः संगठन के पत्र एवं दिनांक 14.02.2005 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग बन्धु बैठक में लिये गये निर्णय तथा कोर कमेटी के निर्णय की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त पर अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Be
(बीरेन्द्र कुमार)

उपायुक्त उद्योग

जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र
गाजियाबाद

Abhi

पृ०सं०

/उपरोक्त /तद् दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगरायुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
4. मुख्य अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड गाजियाबाद।
5. अध्यक्ष, लघु उद्योग एवं व्यापार मण्डल (रजि०), 334 बी, सेवानगर, मेरठ रोड गाजियाबाद।

(बीरेन्द्र कुमार)

उपायुक्त उद्योग

जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र
गाजियाबाद



लघु उद्योग एवं व्यापार मंडल (रजि०)

मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

कार्यालय : 334/बी, सेवा नगर, निकट नन्दग्राम मोड, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

चेयरमैन डा. एस. पी. त्यागी 9958943100	अध्यक्ष विरेश त्यागी 9818379037	कार्यकारी अध्यक्ष बल्ल्याण देव त्यागी 9811563078	महामंत्री राकेश त्यागी 9312231948	कोषाध्यक्ष ललित खन्ना 9810033314	महासचिव आबिद सिददीकी 9310085780	मुख्य सलाहकार मनीश मदान 9873415222	मुख्य सलाहकार कविन्द्र भारद्वाज 9810506591
---------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------

वरिष्ठ सहायक
अब्दुल कलाम
9311790923

अशोक शर्मा
9810274272

अमित त्यागी
9716876204

नईम सैफी
9810170066

अमिल कपूर
9312201736

उपाध्यक्ष
मदन कोषिक
9810809648

योगेश त्यागी
9211885788

राजेंद्र सिंह
9312398862
सलाहकार

हरजीत सिंह
9212454418

सचिव
फिरोज
9350266212

संजय शर्मा
9811636204

अजय राघव
9958638303

ईशामुददीन
9810513799

राजू जुनेजा
9313685511

सह कोषाध्यक्ष
राजेंद्र सिंह चौधरी
9211584444

कानूनी सलाहकार
नितिन त्यागी
9810747362

आडिटर
संजय विसल
9810015004

पत्रांक

लघु उद्योग/2010/015

दिनांक 12.10.2020

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

जिला-गाजियाबाद।

द्वारा

उपायुक्त उद्योग

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र

जिला गाजियाबाद।

विषय: प्रशासन द्वारा हिण्डन विहार क्षेत्र में लघु उद्यमियों के विरुद्ध उद्योग सील करके किये जा रहे उत्पीड़न के विषय में।

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार की समस्या हमारे देश में निरन्तर चली आ रही है। अपनी आजीविका चलाने के लिये लगभग 35 वर्ष पूर्व हिण्डन विहार क्षेत्र में लोगों ने अति लघु लघु व कुटीर उद्योग स्थापित करके स्वयं एवं अन्य लोगों को रोजगार देकर आजीविका का साधन बनाया। विद्युत विभाग से संयोजन भी लिये गये, सेल्स टैक्स एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में पंजीकरण कराये गये व सरकार ने किये। इससे सरकार को भी टैक्स आदि के रूप में राजस्व की प्राप्ति होने लगी। शुरु में कॉमर्शियल कनेक्शन से काम चल जाता था फिर उद्योगों का आकार बढ़ना शुरु हुआ तो औद्योगिक संयोजनों की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए जिला उद्योग केन्द्र के पंजीकरण की आवश्यकता थी, परन्तु जिला उद्योग केन्द्र पंजीकरण नहीं कर रहा था। इस पर हमारे संगठन ने जिला उद्योग बन्धु में इस समस्या को उठाया जिस पर अध्यक्ष, जिला उद्योग बन्धु (जिलाधिकारी महोदय) ने एक कोर कमेटी का गठन करके जिसमें श्री वी०के० पेंवार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), श्री जसवन्त सिंह क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, श्री आर०सी० चौधरी क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एस० के० राजपूत, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड तृतीय (शहरी) श्री एम०एल० अरोड़ा, अध्यक्ष दि गाजियाबाद स्मॉल स्केल मैनु एसोसिएशन एवं हमारी संस्था के श्री के०एस० सिरोही अध्यक्ष लघु उद्योग एवं व्यापार मण्डल, मेरठ रोड, गाजियाबाद थे, क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों, अति लघु एवं लघु औद्योगिक

कमश:.....2

इकाईयों को वैध मानते हुए दिनांक 14.02.2005 को जिला उद्योग केन्द्र को उद्योगों का पंजीकरण करने के लिए आदेशित किया व विद्युत विभाग को भी विद्युत संयोजन कॉमर्शियल से औद्योगिक में परिवर्तित एवं यदि नये उद्योग स्थापित हो तो उन्हें सीधे से औद्योगिक संयोजन देने हेतु आदेशित किया (आदेश की प्रति एवं कोर जिल्हों की रिपोर्ट संलग्न) इस पर जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण होने लगे एवं औद्योगिक संयोजन भी मिलने लगे। इस आदेश में अप्रदूषित इकाईयों (220 उद्योगों की सूची) को लैंड यूज बदलवाने की अनिवार्यता नहीं थी, जबकि यदि कोई प्रदूषित इकाई क्षेत्र में लगाई जायेगी तो उसे नियमानुसार अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रदूषण विभाग से लेना होगा एवं लैण्डयूज भी बदलवाना होगा। इसके पश्चात दिनांक 04.06.2007 को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी सूचना के जवाब के आधार पर प्रशासन द्वारा हिण्डन विहार क्षेत्र में कबाडियों को गोदाम दिये गये हैं (प्रपत्र संलग्न है) अभी हाल ही में हिण्डन विहार क्षेत्र में प्रशासन द्वारा पत्थर के केशर का निर्माण किया गया है।

प्रशासन के सहयोग एवं आदेश से ही आज तक क्षेत्र में अति लघु, लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं व नये उद्योग भी लग रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है व सरकार को भी करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र में लगभग हजारों इकाईयाँ हैं जिनके माध्यम से लाखों लोगों का पेट भरता है। क्षेत्र में संचालित इकाईयाँ इंजीनियरिंग कार्य से सम्बन्धित हैं, जो कि व्हाइट श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। ओ0डी0ओ0पी0 योजना के अन्तर्गत भी हमारा जिला इंजीनियरिंग कार्य के अन्तर्गत आता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है।

गत लगभग 17-18 वर्षों से हमारा संगठन जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से छोटे-छोटे औद्योगिक भूखण्डों की भी मांग करता आ रहा है जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

जबकि औद्योगिक फीडरों की मांग भी निरन्तर संगठन के माध्यम से होती रही है। इस पर क्षेत्र में दो अलग-अलग फीडर बनाकर उद्योगों के विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिससे विद्युत की उपलब्धता बढ़ी है व सरकार का राजस्व भी बढ़ा है।

महोदय आज जबकि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है एवं उद्योग जो पहले ही दयनीय स्थिति में थे वे कोरोना के कारण बन्दी के कगार पर


पहुँच चुके हैं ऐसे में जबकि केंद्र व राज्य सरकार उद्योगों को मदद पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं जिसमें इन्हें से ऋण दिया जाना, किश्त अदायगी में राहत देना शामिल है। लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों ने ऋण लिया हुआ है। उनकी किश्तें ही जमा नहीं हो पा रही हैं। लोगों के सामने खाने तक का संकट पैदा हो गया है। ऐसी भयावह स्थिति में गत 2-3 रोज से प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम हिण्डन विहार क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों पर सीलिंग की कार्यवाही कर विद्युत संपादन विच्छेदित कर रही है। यदि ऐसा होता है तो जो राजस्व सरकार को मिल रहा है वह बन्द हो जायेगा। जो लोग पहले ही भूखों मरने के कगार पर हैं सपरिवार आत्म हत्या करने पर मजबूर हो जायेंगे व इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

अतः इस परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही को तुरन्त रोक जाये व अन्य कोई राहत यदि प्रशासन की तरफ से दी जा सके तो दी जाये।

धन्यवाद।

संलग्न-

1. दि० 14.02.2005 के आदेश की छायाप्रति
2. कोर कमेटी की रिपोर्ट की छायाप्रति
3. दि० 04.06.2007 को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना की छायाप्रति।



(ब्रिजेश त्यागी)
अध्यक्ष



(राकेश त्यागी)
महामंत्री

जिला उद्योग बन्धु की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 14.2.2005
समय अपरान्ह - 3.00 बजे
स्थान कलक्ट्रेट गाजियाबाद के सभागार में ।
अध्यक्षता जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।

गल बैठक की कार्यवाही की पुष्टि -
महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, गाजियाबाद द्वारा गल बैठक की कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गयी जिसकी पुष्टि की गयी ।

विन्द् संख्या 1.- बैठक में लघु उद्योग व्यापार मण्डल (संजि0), मेरठ रोड, गाजियाबाद के अध्यक्ष श्री के0एस0 सिरौही द्वारा हिन्डन विहार एवं पटेल इकाईया को कार्मस्थित लोड को औद्योगिक लोड में परिवर्तित किये जाने की प्रगति पर चर्चा हुई । इस समस्या के समाधान के लिये अध्यक्ष महोदय ने किया । गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी (जि0), क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमि0, श्री सिराधी तथा डि गाजियाबाद समल स्कूल मैन्यू0 एसो0 के अध्यक्ष श्री एम0एल0 अरोरा को नामित करते हुये क अपेक्षा की गयी कि अगली उद्योग बन्धु की बैठक में पूर्व कार्यवाही कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को सौंप दे । इस संबंध में लघु उद्योग व्यापार मेरठ रोड, गाजियाबाद के अध्यक्ष श्री के0एस0 सिरौही द्वारा आग्रह बताया गया कि गठित की गयी कोर कमेटी की बैठक 17-11-2004 को हो चुकी जिलाधिकारी (विन्त्) द्वारा अवकाश पर होने के कारण पूर्व बैठक में आख्या नहीं दी जा सकी ।

विद्युत विभाग के उपस्थित उप महा प्रबन्धक, विद्युत निस्करण मण्डल, नगरीय द्वारा अवगत कराया गया कि जो इकाईयाँ कार्यालय हैं तथा उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं उनके विद्युत कनेक्शन को कार्मस्थित लोड से औद्योगिक लोड में परिवर्तित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि विद्युत विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों में कार्मस्थित लोड को औद्योगिक लोड में परिवर्तित करने की शीघ्र कार्यवाही करें । कोर ग्रुप कमेटी की बैठक दि 17 अन्य बैठकों में निम्नालिखित अधिकारियों तथा एंगीसिधमान के पदाधिकारियों द्वारा विचार किया गया और निष्कर्ष निकला कि हिण्डन विहार, सेवा न सिहानी रोड आवासीय क्षेत्रों में स्थापित / स्थापित होने वाली प्रदूषण रहित (शासन के 220 उत्पादों की सूची अनुसार) औद्योगिक इकाईयाँ का जिला गाजियाबाद कार्यालय द्वारा लक्ष उद्योग पंजीयन तथा नियमानुसार प्रदूषण अनूपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है । जिसके परवात इन इकाईयाँ के विभाग द्वारा नियमानुसार औद्योगिक विद्युतभार जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है । यदि अलिखित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी इकाईयाँ की स्थापन परिवर्तन तक प्रतिबन्धित है, प्रदूषणकारी (220 इकाईयाँ की सूची के अतिरिक्त) औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित होती हैं, तो उसे प्रदूषण नियन्त्रण विभाग से सहमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इसके परवात ही इकाईयाँ के पक्ष में औद्योगिक विद्युतभार जारी किया जाना उचित होगा । अध्यक्ष महोदय द्वारा गये कि गठित कमेटी की आख्या के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करे ।

विन्दु संख्या-2: एकल भेज व्यवस्था

बैठक में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गा0बाद विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 1006 पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त हुये मामलों में से 11 मामलें यूपीएसआईसी 18 मामले उ0प्र0 प्रदूषण समय सीमा के अंदर लखित हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि एकलभेज व्यवस्था विभिन्न प्रकार की स्वीकृति शारन द्वारा चलाई जा रही है । अतः इस व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुये प्रत्येक सप्ताह की निर्धारित बैठक में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

निस्सारण समय सीमा पूर्ण होने से पूर्व कलाना स्थिति चिन्तित करे ।
ब- स्वीकृत विद्युत भार के अनुभव हेतु लखित मामलों की सूची है, उनमें विद्युत की अनुचित रखने का कोई अवसर अवगत कराया जाये ।

द्वारा एकल भेज व्यवस्था की प्रगति के विषय में समिति के सभापति यह अवगत कराया कि अंश में से 951 आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्सारण कर दिया गया है नियन्त्रण बोर्ड विद्युत सुरक्षा के 5 मामलें अगले शमन के 11 मामलें अन्तर्गत कार्यप्रदर्शन व

शेषित किया कि एकलभेज व्यवस्था विभिन्न प्रकार की स्वीकृति / अनुमति को तीव्र निरीक्षण के तहत लेते हुये प्रत्येक सप्ताह की निर्धारित बैठक में नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

शिक्षा में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में प्रस्तावित कार्यवाही करते हुये अग्रगत इकाई के प्रमुख अधिकारी को सूचित कराया जाये ।

विन्दु संख्या 3

उ0प्र0 विल निगम की प्रगति पर विचार बैठक में उपस्थित विल निगम के प्रभारिता अवगत कराया कि कोई मामला लखित नहीं है ।

विन्दु संख्या 4

गत बैठक के उपरान्त जगन्नाथ की आयोगिक इकाई / औद्योगिक समितियों से प्राप्त समस्याओं पर विचार

1- बैठक में साल स्कूल इण्ड एण्ड टैलर एरिओ गांधीबाबा मार्ग, कच्चा रोड बीजा लुहारवाली गली अविद्युत अर्थात् बिजली के संचयन से चर्चा की गई । विषयगत मामलें में अध्यक्ष महोदय द्वारा विल निगम से सम्बन्धित कार्य करने एवं उक्त से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया ।

बैठक में लघु उद्योग व्यापार मण्डल समिति नरद रोड गांधीबाबा उठाई गई समस्या कि आवश्यक / मिश्रित क्षेत्रों में तार उद्योगों को औद्योगिक कराने के सम्बन्ध में चर्चा की गई । इस मामले में लघु उद्योग व्यापार मण्डल ने अवगत कराया कि डिप्टन के पास में जो एकल भेज है जिसमें इकाईयां कराया जा सकता है । अतः इस समस्या के सम्बन्ध में लघु उद्योग व्यापार मण्डल ने अवगत कराया कि निम्न महोदय जिला उद्योग केन्द्र गांधीबाबा उठाई गई समस्या कि वी0एस0 रोड ओ0शेन में तार उद्योगों को औद्योगिक कराने के सम्बन्ध में चर्चा की । इस मामले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि विभाग के सहज अधिकारी से संपर्क कर सब कम्पटी को गठन गुणवत्तापूर्ण रखे । अध्यक्ष महोदय ने औद्योगिक समितियों के समर्थन को निम्न

3- बैठक में इण्ड एरिया मेन्स0 एरिओ बी0एस0 रोड ओ0शेन गांधीबाबा उठाई गई समस्या कि वी0एस0 रोड ओ0शेन में तार उद्योगों को औद्योगिक कराने के सम्बन्ध में चर्चा की । इस मामले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि विभाग के सहज अधिकारी से संपर्क कर सब कम्पटी को गठन गुणवत्तापूर्ण रखे । अध्यक्ष महोदय ने औद्योगिक समितियों के समर्थन को निम्न

बैठक में उद्योग कुंज वैलफेयर संगठन के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग कुंज के उद्यमियों को अपने विद्युत बिलों के भुगतान हेतु प्रताप विहार विद्युत खण्ड में जाना पड़ता है, जिसे उन्हें काफी असुविधा होती है जबकि पूर्व में उद्योग बन्धु की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि इस क्षेत्र विद्युत बिलों को एकत्र करने हेतु दिन नियत करके कैम्प के माध्यम से उद्योग कुंज में बिल भुगतान प्राप्त किये जाये इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकांसी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-5 प्रताप विहार, गाजियाबाद को पूर्व में लिखे गये निर्णयानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । इस संगठन के पदाधिकारी द्वारा विद्युत वितरण खण्ड-5 प्रताप विहार, गाजियाबाद को भी अवगत कराया गया । इस संबंध में उपमहा प्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, नगरीय द्वारा स्टाफ की कमी ही अपने क्षेत्र में लाइन मैन न होने की समस्या से भी अवगत कराया गया । इस संबंध में उपमहा प्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, नगरीय द्वारा स्टाफ की कमी उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शीघ्र की लाइनमैन की व्यवस्था करने की कार्यवाही की जायेगी ।

अन्त में बैठक के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित विभागीय अधिकारियों एवं उद्यमियों को धन्यवाद देते हुये बैठक को समाप्त करने की घोषणा
गयी ।

(महाकर, श्रीली)
सचिव / महाप्रबन्धक
विद्युत वितरण मण्डल
नगरीय विभाग, कानपुर

(संतोष कुमार यादव)
अध्यक्ष, जिला उद्योग बन्धु / जिलाधिकारी
गाजियाबाद ।

जिलाधिकारी, सेवा नगर, पूरुवा, एवं शिवाजी नगर स्थित औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक विद्युत भार का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.04 को संघित कार्रवाई की आस्था :-

जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 4552(6) दिनांक 17.11.04 द्वारा गठित की गई कार्रवाई समिति को दिनांक 29.11.04 व अन्य बैठकों में निम्नलिखित अधिकारियों तथा एंगेजियर्स के पदाधिकारियों द्वारा विचार किया गया और निष्कर्ष निकला कि उल्लिखित क्षेत्रों में स्थापित / स्थापित होने वाली प्रदूषण रहित (शास्त्रों के अनुसार उद्योगों की सूची अनुसार) औद्योगिक इकाइयों का जिला उद्योग केंद्र गाजियाबाद, कार्यालय द्वारा लघु उद्योग नियमानुसार प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, जिसके पश्चात एक इकाई के पत्र में विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार औद्योगिक विद्युत भार जारी किया जा सकता है कार्यवाही की जा सकती है। उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी (220 इकाइयों की सूची के अतिरिक्त) औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हो सकतीं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति / सहमति पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रदूषणकारी इकाइयों के पत्र में औद्योगिक विद्युत भार जारी किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त सारसुति जिलाधिकारी महोदय के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(के० एस० सिरौली)
 अध्यक्ष, लघु उद्योग एवं व्यापार मंडल
 गेस्ट रोड गाजियाबाद

(एस० स्त० आरोरा)
 अध्यक्ष, दि गाजियाबाद गाल स्कूल मैंगू एस०
 मुकंद नगर गाजियाबाद

~~प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना लेख -
 अंगण संविधान तंत्र प्रतिनिधित्व :-~~

(जसरिठ सिंह)
 क्षेत्रीय पंचक
 यू०पी०एस०आई०डी०सी०
 गाजियाबाद

(आर० सी० चौधरी)
 क्षेत्रीय अधिकारी
 उ०पी० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 गाजियाबाद

(एस०के० राजपूत)
 अधिशासी अभियंता
 विद्युत वितरण खण्ड तृतीय(शहरी)
 गाजियाबाद

(वी० के० पवार)
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गाजियाबाद

Industrial Pockets on Meerut Road, Ghaziabad

Name of Pocket	Percentage of Industries	Total No. of Industries	Major Type of Industries
1. Hindon Vihar	80%	500	Mechanical Engineering Steel Fabrication Packaging Industries D.G. set Industries Liquid Paint Electrical Unit Lubricant Foundry etc
2. Sihani Road	90%	200	Automobile Mechanical Engineering work Packaging, Furniture, Hardware manufacturing etc
3. Banwari Nagar	80%	350	Mechanical Engineering Packaging Plastic containers
4. Baba Nagar	90%	200	Mechanical Engg & Fabrication 90% Paper Packaging
5. Krishna Nagar	80%	300	Mechanical Engineering Fabrication
6. Prem Enclave	20%	50	Mechanical & Packaging Unit
7. Vikas Nagar	15%	40	Mechanical & Packaging Unit
8. Techno Plaza Harinagar	95%	50	Mechanical Engineering Auto Industries Packaging Unit

कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद

पत्रांक: 1008 /सम्पत्ति/ज0सू0अ0/08

दिनांक 22-12-08

सहायक जन सूचना अधिकारी,
गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत खसरा नं0-3, ग्राम बोंझा में प्रदान की गयी दुकानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री नितिन त्याग, सी-32, श्यामपार्क एक्स0, साहिबाबाद, गाजियाबाद के प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.10.2008(छायाप्रति संलग्न) के सम्बन्ध में मोंगी गयी सूचना निम्नानुसार है:-

- 1- प्रार्थना-पत्र के बिन्दू-1 में वांछित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुल 52 कबाड़ियों को स्थल दिये गये थे, किन्तु 19 कबाड़ियों के जो मन्दिर साईड में थे, न हटाने पर निरस्त कर दिये गये। अब कुल 33 कबाड़ियों को स्थल दिये गये हैं।
- 2- प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर-2 में वांछित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रत्येक को 12 x 22 फुट अर्थात् $29\frac{1}{3}$ वर्गगज भूमि दी गयी है।
- 3- प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर-3 में वांछित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस भूमि का भू-उपयोग के सम्बन्ध में गाजियाबाद महायोजना में उक्त स्थल किस प्रयोजनार्थ है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सूचना ली जा सकती है अतः तदनुसार आवेदक को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोक्त।

सम्पत्ति अधीक्षक
गाजियाबाद नगर निगम



लघु उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति (रजि०)

मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

कार्यालय : 334/बी, सेवा नगर, निकट नन्दग्राम मोड, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

चेयरमैन ब्रिजेश त्यागी 9818379037	अध्यक्ष एस० पी० त्यागी 9958943100	कार्यकारी अध्यक्ष अशोक शर्मा 9810274272	महामंत्री राकेश त्यागी 9312231948	कोषाध्यक्ष कविन्द्र भारद्वाज 9810506591	मुख्य सलाहकार मनीष मदान 9873415222	महासचिव आबिद सिद्दीकी 9310085786
-----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

अब्दुल कलाम
9311790923

प्रेम बल्लभ गुप्ता
9310919043

ललित खन्ना
9810033314

अमित त्यागी
9716876204

योगेश त्यागी
9211885788

अनिल कपूर
9312201736

एस०डी० मिहोकी
9312701547

उपाध्यक्ष

पवन कौशिक
9810809648

नितिन गुप्ता
9999036991

जितेश गर्ग
9891982727

नगेन्द्र त्यागी
7840090010

राजेन्द्र सिंह
9312398862

नईम सैफ
9810170066

हरजीत सिंह
9899978398

सचिव

अरुण कुमार गुप्ता
9811833003

मनीष कुमार माहनी
9891118937

राजू जुनेजा
9313685511

अनिल कुमार मिश्र
9810589788

राजकुमार गुप्ता
9311557998

मलाउद्दीन
9818036342

सुभाष शर्मा
9818484641

रजेश त्यागी
9310402255

सहकोषाध्यक्ष

रजेंद्र सिंह चौधरी

पत्रांक 20/2017/751

दिनांक 18.12.2017

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
गाजियाबाद।

विषय:- दिनांक 09 एवं 11 दिसम्बर, 2017 को हिण्डन विहार औद्योगिक क्षेत्र में पन्नी के गोदाम सील करने के विषय के सम्बन्ध में।

महोदया,

निवेदन है कि दिनांक 09 एवं 11 दिसम्बर, 2017 को प्रदूषण विभाग एवं प्रशासन द्वारा हिण्डन विहार औद्योगिक क्षेत्र में पन्नी के गोदामों को सील करने की कार्यवाही की गई है।

इस विषय में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इसी प्रकार की सीलिंग की कार्यवाही वर्ष 2003 में भी की गयी थी। उस समय जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना करने पर उन्होंने जाँच कराकर सील खुलवा दी थी और तब से व्यापारीगण सेल्स टैक्स विभाग एवं विभिन्न सरकारी विभागों में पंजीकरण करवाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इन गोदामों में व्यापारीगण फ्लेक्स कम्पनी एवं इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों द्वारा फेस माल बनने के दौरान जो रिजेक्ट फेस पन्नी निकलती है उसे लाकर दोना, पतंग, चारपाई की रस्सी बनाने वालों एवं शादी पार्टीयों में मेज पर बिछाने आदि जैसे कार्यों में प्रयोग करने हेतु बेचने का कार्य करते हैं। कोई पन्नी या पोलिथीन निर्माण या प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करते हैं। गोदामों द्वारा कोई भी प्रदूषण का कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रशासन एवं प्रदूषण विभाग द्वारा सीलिंग की कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है, क्षेत्र में कार्यरत गोदाम सैकड़ों मजदूरों एवं कर्मचारियों की रोजी-रोटी का साधन है, क्षेत्र में कोई भी प्रदूषण नहीं हो रहा है। सरकार को लाखों-करोड़ों रूपए का राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी प्रदेश में कुटीर उद्योगों एवं एम०एस०एम०ई० उद्योगों को बढ़ावा देने का स्पष्ट संदेश है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सीलिंग की कार्यवाही को तुरन्त बन्द कराने का कष्ट करें। जिससे कि लोगों की आजीविका सुचारू रूप से चल सके एवं व्यापारीगण चैन की साँस ले सकें।

धन्यवाद।

(ब्रिजेश त्यागी)

चेयरमैन

(एस०पी० त्यागी)

अध्यक्ष

(राकेश त्यागी)

महामंत्री



जय उद्योग

जय व्यापार

लघु उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति (रजि)

मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)

कार्यालय : 61, विश्वकर्मा मार्ग, हिन्डन विहार, गाजियाबाद (उ.प्र.) दूरभाष : 2736230

वेयरमैन
के० एस० सिरौही
(O) 2736230
(M) 981074/352

अध्यक्ष
ओमदत्त गुप्ता
(मो) 9810335908

कोषाध्यक्ष
लोकेश गर्ग
(ऑ) 2734616
(मो) 9810085209

महामंत्री
मनीष गर्ग
(ऑ) 3948367
(मो) 9312669072

कार्यकारी अध्यक्ष

- हारुन खान
2722285/9811680168
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अब्दुल कलाम
2735323/9810917205
- त्रिजेश त्यागी
2734630/9818379037
- उपाध्यक्ष
प्रेम वल्लभ गुप्ता
9810919043
- ओमवीर सिंह
2721168/9811693471
- विनय खन्ना
2723475/9810120784
- राकेश त्यागी
2712385/9312231948
- महाराजिवि
रांजय शर्मा
2854463/9811636204
- सचिव
राजेन्द्र चौधरी
2755419/9811284824
- घन सिंह सेंगर
2721220/9811265411
- अहमद अली (गुड्डू)
9810186447
- ईश्वर सिंह
2738715/9810042273
- अशोक कुमार गगनेजा
9810444302
- संगठन मंत्री
पवन कौशिक
2740699/9810809648
- नितिन गुप्ता
2737185/9811850282
- सेवी सिंह
2754707/9810992407
- जनसम्पर्क मंत्री
आर० एस० मिश्रा
2852841/9810657051
- मैशाद अली
9891551762
- सह कोषाध्यक्ष
राकेश बाटला (श्याम)
2832822/9810381822

पत्रांक ल०३० न००००

दिनांक 19-11-05

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी
अध्यक्ष जिला उद्योग बन्दू
गाजियाबाद ।
द्वारा
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र गाजियाबाद ।

विषय: आवासीय/मिश्रित क्षेत्रों में लघु उद्योगों को औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

मान्यवर स्मृति पत्रों के माध्यम से विदित हुआ है हिन्डन विहार लघु औद्योगिक क्षेत्र व नन्द ग्राम आवासीय क्षेत्र के बीच में लगभग 100 एकड़ एल०एम०सी० जमीन जी०डी०ए० को देने का शासन का प्रस्ताव विचारधीन है ।

हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि हिन्डन विहार लघु औद्योगिक क्षेत्र से लगी लगभग 60 एकड़ जमीन को यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा विकसित कराकर आवासीय/मिश्रित क्षेत्रों में कार्यरत लघु इकाइयों को 100 मी०, 200 मी०, 300 मी० के प्रारूप में प्लॉट आवंटित कराने की कृपा करें । नन्द ग्राम आवासीय क्षेत्र के पास शेष बची लगभग 40 एकड़ एल०एम०सी० भूमि को जी०डी०ए० द्वारा विकसित कराना श्रेयकर होगा ।

ऐसा करने से अति लघु एवं लघु उद्योगों की अनदेखी भी खत्म हो सकेगी और मिश्रित एवं आवासीय क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों एक क्षेत्र/पटल में आ जायेगी और अति लघु एवं लघु औद्योगिक इकाइयों का विकास संभव हो सकेगा । आपकी अति कृपा होगी ।



भवदीय,
अध्यक्ष
(ओमदत्त गुप्ता)

महामंत्री
(मनीष गर्ग)

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विकास परिषद लखनऊ
2. उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
3. नगर आयुक्त नगर निगम गा०बा०
4. यू०पी०एस०आई०डी०सी० कानपुर/गाजियाबाद
5. विधायक गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

सुरेन्द्र कुमार मुन्नी
विधायक गाजियाबाद